

By order,  
P. R. V. BHIMAN,  
Secretary (Medical Transport and  
Charitable Endowment) to the Delhi  
State Government, Delhi.

†स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर):

(क) जी हां। दिल्ली राज्य सरकार ने ६ सितम्बर, १९५६ को इस प्रयोजन के लिए एक कमेटी की स्थापना की थी।

(ख) कमेटी की स्थापना सम्बन्धी नोटि-फिकेशन जिसमें सूचना दी गई है, सभा की भेज पर रख दिया गया है।

(ग) अब तक कमेटी की तीन बैठक हो चुकी हैं। अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्यो-पैथिक प्रणालियों की चिकित्सा सुविधाओं के सर्वेक्षण के लिये समिति की स्थापना सम्बन्धी अधिसूचना

(दिल्ली राज्य गजट के भाग ५ में प्रकाशनाथं)

दिल्ली राज्य सचिवालय, दिल्ली  
अधिसूचना

दिनांक ६ सितम्बर, १९५६

संख्या एफ० १३२(५०)/५६ एम० टी० एन्ड सी० ई०.—दिल्ली राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक प्रणालियों की वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं के सर्वेक्षण के लिये चीफ कमिश्नर ने एक समिति की स्थापना करने पर प्रसन्नता प्रकट की है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. पं० रामेश्वर दयाल, भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर, १०, प्रोब्रयान रोड, दिल्ली—अध्यक्ष
२. पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति, संसद् सदस्य, मलका गंज रोड, दिल्ली—सदस्य
३. लाला ओंकारनाथ, भूतपूर्व संसद् सदस्य, एम० ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली—सदस्य
४. प्रो० राम सिंह, सदस्य विधान सभा, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली—सदस्य

†Hindi Translation.

५. स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशक, दिल्ली या उसका प्रतिनिधि—सदस्य

६. डा० आर० एन० बेरी, एम० आर० सी० एस०, एल० आर० सी० पी० एल० एम०, २१, दरियागंज, दिल्ली—सदस्य

७. डा० पी० एन० भटनागर, नई सड़क, दिल्ली—सदस्य

८. वैद्य ओंकार प्रसाद, मारवाड़ी औषधालय, किनारी बाजार, दिल्ली—सदस्य

९. हकीम इल्यास खां साहिब, विल्लीमाराण, दिल्ली—सदस्य

१०. हकीम खलीलुलरहमान, तेलीवाड़ा, दिल्ली—सदस्य

११. डा० बी० डी० कश्यप, एम० बी० बी० एस०, २३३, कमला मार्केट, दिल्ली—सदस्य

१२. डा० बी० एम० शर्मा, प्रिंसिपल आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बिया कालेज करोल बाग, नई दिल्ली—सदस्य

१३. हकीम शाम लाल (नैचुरोपैथ)—सदस्य

१४. श्री पी० आर० बी० भीमन, सचिव (मेडिकल ट्रान्सपोर्ट एन्ड चेरिटेबिल इन्डोमेन्ट) दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली—सदस्य सचिव

१५. मन्त्री, आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बिया कालेज बोर्ड, सदस्य होने के अतिरिक्त आप सहायक मन्त्री का भी कार्य करेंगे।

आदेशानुसार,

ह: (पी० आर० बी० भीमन)  
सेक्रेटरी (मेडिकल ट्रान्सपोर्ट एन्ड चेरिटेबिल इन्डोमेन्ट) दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली।

रेलवे स्टेशनों पर अश्लील एवं अस्वस्थ साहित्य की बिक्री

\*५२ श्री चरनजीलाल वर्मा (श्री नवाब सिंह चौहान की ओर से) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के बुकस्टालों पर अश्लील एवं अस्वस्थ साहित्य की बिक्री को रोकने के लिये अब तक सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं;

(ख) विभिन्न रेलों पर ऐसे कितने स्टाल हैं; और

(ग) उन पर स्वस्थ साहित्य की बिक्री कराने के लिये क्या क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

#### [[SALE OF OBSCENE AND UNHEALTHY LITERATURE ON RAILWAYS

\*52. SHRI C. L. VARMA (ON BEHALF OF SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN): Will the Minister for RAILWAYS be pleased to state :

(a) the steps taken by Government so far to stop the sale of obscene and unhealthy literature at railway bookstalls;

(b) the number of such stalls on different Railways; and

(c) the steps which are being taken for the sale of healthy literature there?]

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ग). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) ३४९।

#### विवरण

रेलवे स्टेशनों पर अश्लील साहित्य की बिक्री रोकने और हितकर साहित्य की बिक्री बढ़ाने के लिये किये गये उपाय

अश्लील साहित्य की बिक्री रोकने और हितकर साहित्य की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार जो उपाय कर रही है वे इस प्रकार हैं:—

(१) ठेकेदारों के साथ जो करार किया गया है उसकी शर्तों के अनुसार अश्लील किताबें और किसी तरह की अश्लील तस्वीरें या साहित्य बेचना मना है।

(२) करार की एक शर्त ऐसी भी है जिसके अनुसार यह जरूरी है कि ठेकेदार सरकार द्वारा प्रकाशित पर्यटन और प्रचार सम्बन्धी साहित्य का स्टॉक रखें और बेचें।

(३) रेल-प्रशासनों ने अपने लिये यह अधिकार भी ले रखा है कि वे बुक स्टाल के ठेकेदारों से कुछ खास किताबें या किसी खास तरह की किताबें या पत्रिकाएँ बिकवायें।

(४) रेलवे के बुक स्टालों को हिदायत दी गयी है कि वे भारतीय साहित्य जिसमें पंच-वर्षीय योजना, गांधी और सर्वोदय साहित्य भी शामिल है, का काफी स्टॉक रखें और उसका प्रदर्शन करें।

(५) यातायात विभाग के अफसर नियमित रूप से बुक स्टालों की जांच करते रहते हैं।

(६) हर रेलवे में एक कमेटी बनायी गयी है, जिसमें क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के दो-एक गैर-सरकारी सदस्य और दो-एक अवकाश प्राप्त शिक्षा शास्त्री होते हैं। यह कमेटी बुक स्टालों का दौरा करके मंदा साहित्य हटाने और हितकर और उपयोगी साहित्य की बिक्री बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव देती है।

[[THE DEPUTY MINISTER FOR RAILWAYS AND TRANSPORT (SHRI SHAH NAWAJ KHAN): (a) and (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) 349.

#### STATEMENT

*Steps taken to prevent sale of obscene literature and promote sale of healthy literature at railway stations.*

The steps being taken by Government to prevent sale of obscene literature and to promote the sale of healthy literature are :—

(i) The sale of obscene books, pictures and pornographic literature of any kind is prohibited in terms of agreement with the contractors;

- (ii) The agreement also contains a clause making it obligatory on the part of the contractors to stock and sell tourist and publicity literature issued by Government;
- (hi) The Railway Administrations further reserve to themselves the right to require the bookstall contractors to sell certain books or types of books and periodicals.
- (iv) Instructions have been issued for adequate stocking and display at railway bookstalls of suitable indigenous literature, including that connected with the Five Year Plan and Gandhian and Sarvodaya Literature.
- (v) Bookstalls are regularly inspected by officers of the Traffic Department; and
- (vi) A Committee, consisting of one or two non-official members of the Zonal Railway Users' Consultative Committee and one or two retired educationists, has been appointed, one on each Railway, to go round bookstalls and make suggestions for weeding out undersirable literature and for promotion of sale of useful healthy literature.]

SHRI P. N. SAPRU: What is the meaning of the expression 'unhealthy literature'? What is the test of the healthiness of a literature which the Government or the hon. Member has in mind?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Pardon, Sir.

MR. CHAIRMAN: When you talk of obscene or unhealthy literature, what are the standards that you have in view to determine whether any particular piece of literature is healthy or unhealthy?

SHRI P. N. SAPRU: I am particularly referring to the word 'unhealthy'.

2—37 R.S./56

MR. CHAIRMAN: That Which does not contribute to mental sanity, perhaps.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं यह जान सकती हूँ कि रेलवे मंत्रालय की ओर से क्या कोई ऐसी साहित्य कमेटी बनाई गई है जो कि इन स्टालों को निदेशन देती रहे कि इस इस प्रकार का साहित्य स्टाल पर रखा जाय ?

श्री लाल बहादुर : जी हाँ, ऐसी कमेटी हर रेलवे पर बनाई गई है और उस कमेटी में कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर भी रखे गये हैं।

MR. CHAIRMAN: Question hour is over.

#### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS EFFICACY OF B. C. G.

\*44. SHRI MAHESHWAR NAIK: Will the Minister for HEALTH be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in a section of the Press to the effect that the theory on which the B.C.G. campaign was based has now been proved as adversely fallacious;

fb) if so, whether Government share in that opinion; and

(c) whether the B.C.G. programme is going to be abandoned or suspended until a final decision in the matter is forthcoming?

THE MINISTER FOR HEALTH (RAJKUMARI AMRIT KAUR) : (a) Government's attention has been drawn to an article entitled "B.C.G.—a drug that failed" by Shri C. Rajagopala-chari as published recently in a section of the Press.

(b) The Government do not share the view that the theory on which the B.C.G. vaccination campaign was based has proved to be fallacious.

(c) No.

#### ZONAL RESTRICTION ON MOVEMENT OF FOODGRAINS

◆45. SHRI MAHESHWAR NAIK: Will the Minister for FOOD be pleased to state: